

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/दहेज हत्या/गैंगेस्टर/अवैध असलहा/बलात्कार/पोक्सो आदि से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण-

थाना-निजामाबाद

अपहरण के अभियोग में फरार चल रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 6-2-2020 को अबु मोहम्मद पुत्र बकरीदन ग्राम चाँदपुर आयमा थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा उपस्थित थाना आकर लिखित तहरीर दिया कि वादी की पुत्री सहाना बानो जो बसखारी गयी थी और रास्ते में आते समय गुम हो गयी के सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर गुमशुदगी दर्ज की गयी। गुमशुदा की बरामदगी हेतु काफी अथक प्रयास किया जा रहा था तथा गुमशुदा के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया गया तथा गुमशुदा के पिता से वार्ता की गयी तो ज्ञात हुआ कि सहाना बानो के गुम होने वाले दिन सहाना बानो द्वारा फोन से अवगत कराया गया था कि पुर्व से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील रामनिवास यादव पुत्र गुरुचरन यादव ग्राम सरदहा थाना तहबरपुर आजमगढ़ व उसका पति अबरार अहमद पुत्र मैनुद्दीन ग्राम भगतपुर थाना बिलरियागंज द्वारा बात करने के लिये बोलेरो गाडी में बैठाया गया है तब से उसका पता न चल सका। पुनः दिनांक 5/9/20 को गुमशुदा के पिता अबु मोहम्मद पुत्र बकरीदन ग्राम चाँदपुर आयमा थाना निजामाबाद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर तहरीर दिये कि मेरी पुत्री सहाना बानो की हत्या करने की नियत से रामनिवास यादव पुत्र गुरुचरन यादव ग्राम सरदहा थाना तहबरपुर आजमगढ़ व उसका पति अबरार अहमद पुत्र मैनुद्दीन ग्राम भगतपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-158/20 धारा 364 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण - अपहरण के अभियोग में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपहरण में नामजद अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी एवं अपहृता को बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया जिसपर अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अनवर अली खॉ के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराहीयान के दिनांक 6.09.2020 को नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी हेतु उनके मिलने के स्थानों पर लगातार छापा मारी की जाने लगी तभी भ्रमण के दौरान ही जरिये मुखबिर खास सूचना मिली मु0अ0सं0 158/20 धारा 364 भादवि में नामजद अभि0गण रामनिवास यादव पुत्र गुरुचरन यादव ग्राम सरदहा थाना तहबरपुर आजमगढ़ व अबरार अहमद पुत्र मैनुद्दीन ग्राम भगतपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ गिरफ्तारी से बचने हेतु सोफीपुर नहर पुलिया पर वाहन का इन्तजार कर रहे हैं अगर जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराही मय मुखबिर के मौके से प्रस्थान कर सोफीपुर नहर पुलियाँ पर पहुँचे तो मुखबिर ने वहा पर खड़े व्यक्तियों की तरफ इशारा कर हट बढ़ गया मुखबिर द्वारा बताया गये व्यक्तियों के पास जैसे ही पुलिस पहुची कि उपरोक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किये कि उनको मौके पर ही घेर कर पकड़ लिया गया , पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो उन्होने अपना नाम रामनिवास यादव पुत्र गुरुचरन यादव ग्राम सरदहा थाना तहबरपुर आजमगढ़ व उसका पति अबरार अहमद पुत्र मैनुद्दीन ग्राम भगतपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बताया कि यह पूरी तरह से विश्वास करने के उपरान्त कि उपरोक्त अभियुक्तगण मु0अ0सं0 158/20 धारा 364 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण ही है। पूरी तरह विश्वास करने के उपरान्त अपराध का बोध कराकर दिनांक 6.09.2020 को समय करीब 10.30 बजे अन्तर्गत धारा 364 भादवि में हिरासत पुलिस में लिया गया ।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 158/20 धारा 364 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-रामनिवास यादव पुत्र गुरुचरन यादव ग्राम सरदहा थाना तहबरपुर आजमगढ़
- 2-अबरार अहमद पुत्र मैनुद्दीन ग्राम भगतपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 मोतीलाल पटेल थाना निजामाबाद आजमगढ़ मय हमराहीयान

थाना-जहानागंज

छेड़खानी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.8.2020 को जहानागंज थाना क्षेत्र के वादी द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दी की कृष्ण कन्हैया उर्फ साधू पुत्र नरेश यादव ग्राम टिसौरा (नसरतताल) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने मेरी लड़की के साथ छेड़खानी की है। वादी के लिखित तहरीर के आधार पर स्थानीय थाना पर मु0अ0स0 191/20 धारा 354 भादवि पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक ज्ञानू प्रिया मय हमराह द्वारा मुखबिर की खास की सूचना पर मु0अ0सं0 191/20 धारा 354/506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कृष्ण कन्हैया उर्फ साधू पुत्र नरेश यादव ग्राम टिसौरा (नसरतताल) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 11.40 बजे दिन में मन्दे चट्टी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्त कृष्ण कन्हैया उर्फ साधू पुत्र नरेश यादव ग्राम टिसौरा (नसरतताल) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पुछने पर गलती की माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब गलती हो गयी। अब दोबारा गलती नहीं करूंगा।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0स0 191/20 धारा 354 भादवि, थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-कृष्ण कन्हैया उर्फ साधू पुत्र नरेश यादव ग्राम टिसौरा (नसरतताल) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1-प्र0नि0 ज्ञानू प्रिया मय हमराह थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

थाना कप्तानगंज

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर आजमगढ़ के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये गये अभियान में आज दिनांक 06.09.2020 को समय 08.30 बजे लगभग तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक आनन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में ब0उ0नि0 कृष्णानन्द प्रसाद मय हमराहीयान कर्म0गण के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 144/20 धारा 147/149/447/186/332/353/336/427 भा0द0वि0 में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1. जयनरायन पुत्र बृजराम 2. आशिष पुत्र जयनरायन ग्राम देवरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 3. प्रेमा देवी पत्नी जयनरायन साकिनान देवरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. जयनरायन पुत्र बृजराम
2. आशिष पुत्र जयनरायन
3. प्रेमा देवी पत्नी जयनरायन साकिनान देवरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. ब0उ0नि0 कृष्णानन्द प्रसाद
2. कां0 आकाश बर्मा,
3. कां0 आशिष राय
4. म0कां0 दीपा कुमारी

नोट- जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा कुल 41 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।